लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनांक 20 मार्च, 2020 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक संख्या 1/2020 की कार्यवाही

उपस्थिति

1.	प्रो0 आलोक कुमार राय, कुलपति	– अध्यक्ष
2.	प्रो0 एस0के0 शुक्ला, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	– सदस्य
3.	श्री आलोक कुमार, अधिष्ठाता, ललित कला संकाय	– सदस्य
4.	श्री अनिल सिंह	– सदस्य
5.	डॉ0 अमृता श्रीवास्तव	– सदस्य
6.	डॉ0 अशोक कुमार सोनकर	– सदस्य
7.	डॉ0 मो0 तकी अली आब्दी	– सदस्य
8.	प्रो0 नन्द लाल भारती	– सदस्य
9.	प्रो0 बी0के0 शुक्ला	– सदस्य
10.	डॉ महेन्द्र कुमार	– सदस्य
11.	प्रो0 रीता	– सदस्य
12.	डॉ विनीता प्रकाश	– सदस्य
13.	जस्टिस श्री वी0के0 दीक्षित (से0नि0)	– सदस्य
14.	डॉ0 एस0बी0गुप्ता	– सदस्य
15.	प्रो0 एस0के0 द्विवेदी	– सदस्य
16.	प्रो0 संगीता रानी	– सदस्य
17.	प्रो0 मो0 सिराजुद्दीन	– सदस्य
18.	डॉ0 विनोद कुमार सिंह, कुल सचिव	– सचिव

बैठक में श्री संजय श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, ले0 कर्नल अंजनी कुमार मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ भी उपस्थित रहें।

बैठक के आरम्भ में माननीय कार्य परिषद सदस्यों ने नव नियुक्त कुलपति प्रो0 आलोक कुमार राय एवं नवनियुक्त सदस्यगणों क्रमशः प्रो0 संगीता रानी, प्रो0 मो0 सिराजुद्दीन, प्रो0 बी0के0 शुक्ला, डॉ महेन्द्र कुमार एवं श्री आलोक कुमार का स्वागत किया गया तथा कार्य परिषद के पूर्व सदस्यों डॉ0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना, प्रो0 एस0के0जायसवाल, डॉ0 एम0एम0 वर्मा, प्रो0 बृजेन्द्र सिंह तथा डॉ0 अर्चना मिश्रा नी तिवारी का कार्य काल समाप्त होने पर उनके द्वारा कार्य परिषद सदस्य के रूप में दिये गये सहयोग एवं योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कार्य परिषद के माननीय सदस्यों से परिचय एवं उनके स्वागतोपरान्त परिषद के अध्यक्ष/कुलपति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक में कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने अवगत कराया कि कार्य परिषद की बैठक का एजेण्डा नियमानुसार 07 दिन पूर्व उपलब्ध करा दिया जाय। सचिव/कुलसचिव द्वारा मा0 कार्य परिषद को आश्वस्त किया गया कि आगामी मा0

कार्य परिषद की बैठकों में एजेण्डा ससमय उपलब्ध करा दिया जायेगा। तत्पश्चात कार्य परिषद की बैठक कार्यवाही कार्यसूची के अनुसार संचालित की गयी।

विनिश्चय संख्या 01:—कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2019 की कार्यवाही की पुष्टि करने पर विचार कर निर्णय लेना।

(अ) उक्त बैठक की पुष्टि इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि मद संख्या 02 के अनुसार अनुपालन पर यथा आवश्यक संशोधन यदि कोई होगा तो कर लिया जायेगा।

(ब) दिनांक 28.11.2019 की सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक की उपस्थिति में मा0 सदस्या डॉ0 आराधना पाण्डेय के स्थान पर डॉ0 अमृता श्रीवास्तव के संशोधन की पुष्टि की गयी।

(स) दिनांक 28.11.2019 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक के विनिश्चय संख्या 14 के अर्न्तगत अंकित धनराशि रू0 2,45,000/— एवं 20,500/— के स्थान पर क्रमशः 24,50,000/— एवं 20,50,000/— के संशोधन की सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 02:—कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28.11.2019 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2019 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना प्राप्त करना।

दिनांक 28.11.2019 की बैठक की कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या पर निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया:— विनिश्चय संख्या 02 के खण्ड 1 के क्रम में प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या एक माह के अर्न्तगत प्राप्त करने की अपेक्षा की गयी।

खण्ड 02 के अर्न्तगत मेडिकल आफिसर एवं शिक्षकों के रिक्त पदों के भरे जाने के संबंध में रोस्टर तैयार करने हेतु गठित समिति की आख्या प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी।

विनिश्चय 03 के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग, ओरियण्टल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन विभाग तथा गणित एवं खगोल शास्त्र विभाग के शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ई—1490 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा उपरोक्त विभागों की प्रोन्नति की कार्यवाही/प्रक्रिया पुनः नये सिरे से एक माह की अवधि

में पूर्ण कराने के निर्देश से मा0 कार्य परिषद को अवगत कराया गया। मा0 कार्य परिषद द्वारा नये सिरे से कार्यवाही किये जाने की सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 12 के अर्न्तगत श्री संतोष कुमार शास्त्री के प्रकरण पर नियमानुसार दिनांक 15.04.2020 तक भुगतान किये जाने हेतु वित्त अधिकारी से मा0 कार्य परिषद द्वारा अपेक्षा की गयी।

विनिश्चय संख्या 13 पर चर्चा करते समय कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 एस0के0 द्विवेदी एवं श्री अनिल सिंह ने कहा कि कार्यवृत्ति में उन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनकी चर्चा हुई थी। कार्य परिषद के अध्यक्ष/कुलपति ने भी कहा कि इस प्रकरण पर चर्चा के अनुसार कार्यवृत्ति न तैयार किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। सम्यक्विचारोपरान्त मा0 कार्य परिषद ने उक्त प्रकरण पर दिनांक 28.11.2019 की बैठक में क्या चर्चा हुई इसकी जॉच हेतु त्रिसदस्यी समिति गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया। समिति ने कार्य परिषद के मा0 सदस्यों प्रो0 एस0के0 द्विवेदी, श्री अनिल सिंह, डॉ0 विनीता प्रकाश की समिति गठित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

विनिश्चय संख्या 15 के अर्न्तगत मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद पी0आई0एल0 सिविल संख्याः 19390 आफ 2018 का अध्ययन कर विश्वविद्यालय हित में लागू किये जाने योग्य विषयों से कुलपति को अवगत कराये जाने हेतु मा0 सदस्यों प्रो0 नन्द लाल भारती एवं डॉ0 अशोक कुमार सोनकर, डॉ0 महेन्द्र कुमार की संयुक्त समिति गठित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा एक माह के अर्न्तगत आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

पूरक कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 02 पर विचार–विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि डॉ0 रतन कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला संकाय के प्रकरण पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही/निस्तारण किया जाय।

पूरक कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 12 पर मा0 कार्य परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण एजेण्डा के मूल बिन्दु 12 पर पुनः अंकित है जिस पर चर्चा की जायेगी।

पूरक कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 13 पर समाज कार्य विभाग में फील्ड वर्क आर्गनाइजर पर नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन से मार्गदर्शन मॉगा गया है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 02 पर श्री शोभित शुक्ला के पीएच0डी0 प्रकरण पर कार्य परिषद के मा0 सदस्य श्री अनिल सिंह ने कहा कि यह बिन्दु अत्यन्त संवेदनशील प्रकृति का है तथा एक छात्र के भविष्य से जुडा हुआ प्रश्न है। सम्यक्विचारोपरान्त प्रकरण के नियमानुसार निस्तारण के संबंध में मा0 सदस्य प्रो0 बी0के0 शुक्ला की अध्यक्षता में प्रो0 एस0के0 द्विवेदी, एवं प्रो0 रीता की त्रिसदस्यी समिति गठित की गयी। प्रकरण पर चर्चा के समय मा0 सदस्य प्रो0 एस0के शुक्ला समिति कक्ष से बाहर रहें।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची के विनिश्चय संख्या 07 पर अंकित पूर्व कुलपति प्रो0 एस0पी0 सिंह के विरूद्व गठित जॉच समिति की आख्या के संबंध में मा0 कार्य परिषद को संज्ञानित कराया गया कि राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 8794 दिनांक 01 जनवरी, 2020 द्वारा प्रकरण पर आख्या चाही गयी है कि जॉच समिति का गठन/कार्यवाही किस नियम/परिनियम के अर्न्तगत प्रस्तावित की गयी है। मा0 कार्य परिषद द्वारा नियमों/परिनियमों के अर्न्तगत प्रतिउत्तर भेजे जाने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.12.2019 द्वारा विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष आयोजित किये जाने के संबंध में लिये गये विनिश्चय का सम्पुष्टि की गयी तथा कार्य परिषद के मा0 सदस्य श्री अनिल सिंह एवं प्रो0 एस0के0 द्विवेदी ने कहा कि शताब्दी वर्ष के सम्बन्ध में आयोजित सभी कार्यक्रमों में माननीय सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाय जिस पर अध्यक्ष/कुलपति द्वारा सहमति व्यक्त की गई कि जो कार्यक्रम विस्तृत स्तर के हों उनमे कार्य परिषद के मा0 सदस्यों को भी आमन्त्रित किया जाय।

विश्वविद्यालय की काफी टेबल बुक की रूप रेखा तैयार किये जाने के संबंध में प्राचार्य आई0टी0पी0जी0 कालेज डॉ0 विनीता प्रकाश के अनुभवों व विचारों को सम्मलित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

विनिश्चय संख्या 03:— वित्त समिति की दिनांक 06.12.2019 एवं दिनांक 29.02.2020 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 04:— लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा घोषित वर्ष 2020 के सार्वजनिक /निर्बन्धित अवकाश की सूची परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा भविष्य हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया कि शासन/प्रशासन के निर्देशानुसार अवकाश सूची निर्गत करें।

विनिश्चय संख्या 05:—लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग की दिनांक 27.12. 2019, को सम्पन्न चयन समिति की बैठक की संस्तुति के सीलबन्द लिफाफो को खोले जाने के सम्बन्ध में विचार करना तथा निर्णय लेना।

वाणिज्य विभाग की कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.12.2019 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक की संस्तुति के सीलबन्द लिफाफों को मा0 कार्य परिषद के सम्मुख खोला गया तथा डॉ0 गीतिका टण्डन कपूर को असिस्टेंट प्रोफेसर स्टेज–3, की अर्हता की तिथि यथा दिनांक 23.12.2017 से तथा डॉ0 अवधेश कुमार को प्रोफेसर स्टेज–5 के पद पर अर्हता की तिथि यथा दिनांक 03.06.2017 से प्रोन्नति किये जाने का अनुमोदन मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:—लखनऊ विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग स्ववित्तपोषित संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के रूप में कार्यरत सुश्री प्रज्ञा द्वारा पारिवारिक कारणों एवं स्वास्थ खराब होने के कारण इंजीनियरिंग स्ववित्तपोषित संकाय में सुश्री प्रज्ञा द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रकरण कार्य परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

सुश्री प्रज्ञा के त्याग पत्र पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07:— कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ0 प्रोफेसर रवीन्द्र प्रताप सिंह, अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपियन भाषा विभाग, द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 15.12.2019 के आलोक में शासनादेश सं0 3/ 2017–730/ सत्तर–1– 2017–16(56)/2016 दिनांक 27.09.2017 में वर्णित प्राविधानो को श्री कुलाधिपति/राज्यपाल, राजभवन के आदेश दिनांक 02.01.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 15.24 के परन्तुक के रुप में राज्य

सरकार द्वारा प्राप्त सम्मान के आधार पर अलंकृत शिक्षकों को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान करने के क्रम में प्रोफेसर रवीन्द्र प्रताप सिंह, अंग्रेजी एवं आधुनिक यूरोपियन भाषा विभाग को 62 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण होने पर तत्समय प्रभावी परिनियम में वर्णित प्राविधानों के दृष्टिगत शिक्षक श्री सम्मान के आधार पर 02 वर्ष का सेवा विस्तार प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण मा0 कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ/,निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 08:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत श्री पंचऋषि देव शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को University of Graz, Austria में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश होने तथा शोध कार्य करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के संशोधित परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अनुसार श्री शर्मा को दिनांक 15.05.2020 से दिनांक 15.05.2022 तक अध्ययन अवकाश(स्टडी लीव) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

श्री पंचऋषि देव शर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर के नवीन प्रार्थना पत्र के क्रम में University of Victoria, Canada में पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु दिनांक 01.09.2020 से 30.08.2022 तक अध्ययन अवकाश (Study Leave) की स्वीकृति मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 20.11.2019 जो Collaboration between the GEOLOG and the University of Lucknow के सम्बन्ध में हैं,परिषद के सम्मुख विचारार्थ /निर्णयार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गयी तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/संस्थाओं से एम0ओ0यू0 किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 मो0 अरशद, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम

15.19 में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 अरशद को अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जन्तु विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 15.12.2019 अपरान्ह से कार्यमुक्त करते हुये दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 15.12.2021 तक के लिये नियुमानुसार वेतनरहित असाधारण अवकाश की स्वीकृति मा0 कुलपति महोदय द्वारा किये जाने के उपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने की प्रत्याशा में निर्गत पत्र परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो कि दिनांक 28.11.2019 को सम्पन्न हुयी कार्य परिषद की बैठक के मद संख्या 23 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के ट्रांजिट हास्टल कम गेस्ट हाउस में अतिथि गृह के किराये की निम्नलिखित संशोधित दरों हेतु कार्यालय आदेश परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा दिनांक 28.11.2019 में अनुमोदित दरों में ल0वि0वि0 में व्यक्तिगत कार्य से आये अतिथि हेतु पूर्व की स्वीकृत दर रू0 1500/– यथावत् रखते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 12:– मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 743 (एस0बी0)/2007 (डॉ0 सुनील प्रकाश त्रिवेदी बनाम कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय एवं अन्य) के आलोक में कुलसचिव द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश सं0 टी0/2428–33 दिनांक 28.01.2020 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 28.01.2020 द्वारा मा0 कार्य परिषद संज्ञानित हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में प्रकरण को समस्त तथ्यों सहित मा0 राजभवन को अवगत कराते हुए मार्गनिर्देश प्राप्त करने का निर्णय मा0 कार्य परिषद द्वारा लिया गया। प्रकरण पर चर्चा के समय प्रो0 संगीता रानी सदन कक्ष से बाहर रहीं।

विनिश्चय संख्या 13:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो डॉ0 ऋचा सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 20.10. 2010 को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व पटना लॉ कालेज, सम्बद्व पटना विश्वविद्यालय में असिसटेन्ट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। परिनियम 18.05 (सी) में वर्णित प्राविधानानुसार डॉ0 सक्सेना

की दिनांक 02.07.2009 से दिनांक 19.10.2010 तक की गयी सेवाओं को लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा में आगणित करने के साथ एवं वेतन संरक्षित करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चयसंख्या 14:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत श्रीमती अर्चना सिंह, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को Teacher Candidate के रुप में विधि विषय से पी0एच0डी0 करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र सं0 29481 दिनांक 09.09.2014 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, विश्वविद्यालय की उक्त अनुमति के उपरान्त श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा पी0एच0डी0 कोर्स में प्रवेश लेने लिया गया था, अद्यतन पी0एच0डी0 कोर्स अपूर्ण हैं,तत्क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियमों में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती सिंह को दिनांक 03.12.2019 से दिनांक 05.05.2020 तक अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 15:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो संकायाध्यक्ष कला संकाय द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.12.2019 के क्रम में अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एवं शैव फिलॉस्फी, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवैतनिक निदेशक के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण पर दिनांक 04.12.2019 को अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एवं शैव फिलॉस्फी, लखनऊ विश्वविद्यालय के गवर्निंग बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ल, संस्कृत एवं भाषा विभाग, वर्तमान संकायाध्यक्ष को अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एवं शैव फिलॉस्फी, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवैतनिक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

प्रो0 बृजेश कुमार शुक्ल, संस्कृत एवं भाषा विभाग, वर्तमान संकायाध्यक्ष को अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ एस्थेटिक्स एवं शैव फिलॉस्फी, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवैतनिक निदेशक

के पद पर नियुक्ति योगदान की तिथि से 05 वर्ष या सेवानिवृत्ति जो भी पहले हो, तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 16:–परिषद द्वारा तत्कालीन प्रधानाचार्य/संकायाध्यक्ष के पत्र सं0 482/3rd दिनांक 27.11.2019 द्वारा दिनांक 27.11.2019 को संविधान दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में मा0 कुलपति महोदय के मौखिक आदेशो के क्रम में कला एवं शिल्प महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं द्वारा निर्मित कलाकृतियों को क्रय किये जाने के उपरान्त 50 प्रतिशत धनराशि महाविद्यालय कोष में जमा करने के उपरान्त शेष 50 प्रतिशत सम्बन्धित छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता के रुप में प्रदान करने विषयक प्रस्ताव पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना। **मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।**

विनिश्चय संख्या 17:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि विभाग में कार्यरत श्री प्रेम चन्द्र सिंह यादव, असिस्टेन्ट प्रोफेसर को Teacher Candidate के रुप में शोध कार्य पूर्ण करने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनियम 15.20 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री यादव को दिनांक 10.01.2020 से दिनांक 18.02.2020 तक अध्ययन अवकाश(स्टडी लीव) स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 18:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में कार्यरत प्रोफेसर एस0के0 चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2020 द्वारा उन्हें विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के परिनियम 2.20 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर पूर्व में कार्यरत प्रो0 डी0आर0 साहू के कार्यकाल को समाप्त होने के उपरान्त वरिष्ठता/चक्रानुक्रम में प्रो0 चौधरी हेतु मा0 कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ के आदेश दिनांक 08.12.2016 जो डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी को प्रवक्ता के पद पर अनियमित नियुक्ति किये जाने के अनुपालन में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.04.2017 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति की जॉच

आख्या/रिर्पोट पर कार्य परिषद का अंतिम निर्णय होने तक मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में संकायाध्यक्ष, कला संकाय को विभागाध्यक्ष, समाजय शास्त्र के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी थी। प्रो0 चौधरी के संबंध में परिषद द्वारा गठित अनुशासनिक समिति की जॉच रिर्पोट पर निर्णय न होने पर वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रो0 चौधरी समाज शास्त्र विभाग का पत्र परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 सुकान्त कुमार चौधरी के विरूद्व गठित अनुशासनिक समिति की जॉच रिर्पोट सम्बन्धी सीलबन्द लिफाफा मा0 कार्य परिषद के सम्मुख खोला गया। अनुशासनिक समिति की आख्या " डॉ0 चौधरी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपित बिन्दु (1लगायत5) भलीभॉति सिद्ध होते हैं। सुसंगत परिनियमावली 10. 01 (1) में परिभाषित शैक्षिक अर्हता धारित न करते हुए भी डॉ0 चौधरी ने प्रश्नगत पद (प्रवक्ता समाजशास्त्र) हेतु विज्ञापन संख्या 2/1991 के सन्दर्भ में जानबूझ कर आवेदन किया और गलत ढंग से नियुक्ति प्राप्त की तथा इस वास्तविकता से भिज्ञ होते हुए भी विश्वविद्यालय में अद्यतन कार्य कर रहे हैं जो नियम संगत नही है। तद्नुसार डॉ0 सुकान्त चौधरी दोषी सिद्ध होते हैं।" कार्य परिषद के मा0 सदस्यों ने एक नई समिति के गठन किये जाने हेतु अध्यक्ष/कुलपति को अधिकृत किया, जो अनुशासनात्मक समिति की जॉच आख्या का अध्ययन कर उसके परिणाम/निष्कर्ष को अगली कार्य परिषद की बैठक में प्रस्तुत करेगी।

विनिश्चय संख्या 19:– उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठयक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तो के मानक आदि के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 226/सत्तर–2–2020–18(31)/2018 दिनांक 13 मार्च, 2020 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उक्त शासनादेश को लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 20:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो बोरा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साइन्सेज, लखनऊ में पूर्व से संचालित बी0बी0ए0 एवं बी0काम पाठ्यक्रम बोरा इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट साइन्सेज में दूसरे प्रस्तावित भवन में किये जाने हेतु एवं पाठ्यक्रमों की कक्षाओं का संचालन नवीन भवन में किये जाने संबंधी प्रकरण पर भवन सिफ्टिंग संबन्धी निरीक्षण आख्या दिनांक 02.01.2020 की संस्तुति परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 21:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो ज्यूरिस कालेज ऑफ लॉ, गोमती नगर, लखनऊ में विधि तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम में निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 से 03 वर्षो हेतु प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 22:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षाशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ0 नुपूर सेन, के सेवानिवृत्त होने के पश्चात वर्तमान में सत्रान्त लाभ पर होने के उपरान्त उनके अनुरोध पर सेवामुक्त करने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

डॉ0 नुपूर सेन के प्रार्थना पत्र पर उनकी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं के दृष्टिगत उन्हें दिनांक 31.03.2020 के अपराह्न से सेवामुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 23:–कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो कि प्रो0 डी0आर0साहू, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं प्रो0 निशि पाण्डेय, निदेशक अर्न्तराष्ट्रीय कोलेब्रेशन द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित प्रारुप जो कि Manvodaya के साथ MOU किये जाने सम्बन्धी हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गयी तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/संस्थाओं से एम0ओ0यू0 किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 24:–वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.02.2020 के बिन्दु सं0 06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय के Poor Boys Fund के Nomenclture को परिवर्तित कर Student

Welfare Fund किये जाने संबंधी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 25:–परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष सांख्यिकी विभाग के पत्र सं0 40/2020 दिनांक 31.01.2020 के प्रस्तुत अनुरोध पत्र के क्रम में जो श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव के संलग्न प्रस्ताव पर सांख्यिकी विभाग के परास्नातक विषय के एक छात्र/छात्रा को आगामी दीक्षान्त समारेाह में प्रो0 वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव गोल्ड मेडल रु0 5,000 या रु0 10,000 (As per University Decides) के नगद पुरस्कार सहित दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया हैं(जिसकी धनराशि रु0 5,23,449/– सावधि के रुप में जमा कर संलग्न हैं), एवं श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा द्वितीय अनुरोध में परास्नातक विषय के दो छात्र/छात्रा को मुकेश कुमार श्रीवास्तव छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रु0 1000/– की छात्रवृत्ति प्रदान करने सम्बन्धी अनुरोध पर विचार करने एवं शेष धनराशि रु0 4,76,551/– को जमा कराने के पश्चात श्री श्रीवास्तव के द्वितीय अनुरोध सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमति प्रदान करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 26:–परीक्षा समिति की दिनांक 03.01.2020, 17.02.2020 एवं 22.02.2020 को सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सम्पुष्टि की गयी।

विनिश्चय संख्या 27:– प्रवेश समिति की दिनांक 16.11.2019, 14.01.2020, 22.02.2020 तथा दिनांक 13.03.2020 को सम्पन्न बैठकों के कार्यवृत्त की पुष्टि करने पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रवेश समिति की दिनांक 16.11.2019, 14.01.2020, 22.02.2020 की सम्पुष्टि की गयी तथा दिनांक 13.03.2020 की प्रवेश समिति की बैठक के कार्यवृत्त को कार्य सूची से इतर रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विनिश्चय संख्या 28:–परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–2021 का लखनऊ विश्वविद्यालय का बजट परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजटा का अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 29:– लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन कला एवं शिल्प महाविद्यालय को संकाय का दर्जा प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 30:–लखनऊ विश्वविद्यालय में Happy Thinking प्रयोगशाला की स्थापना ONGC भवन में कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ /अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Happy Thinking प्रयोगशाला की स्थापना ONGC भवन में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव प्रो0 मधुरिमा प्रधान द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तत्समय प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य मद की कार्यसूची (01/2020)

विनिश्चय संख्या 01:–परिषद द्वारा अटल सुशासन पीठ के अनुमोदन पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अटल सुशासन पीठ के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 12.84 लाख प्रतिवर्ष के बजट प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु अध्यक्ष कार्य परिषद/कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 02:–माननीय कुलपति महोदय के संरक्षण में तीन नवीन सेल (रिसर्च सेल, रिक्रुटमेंट एण्ड एसेसमेंट सेल एवं एकेडमिक सेल) के गठन किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा संस्थागत संरचना हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:—परिषद द्वारा अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद के सहायतार्थ 02—03 अवैतनिक सह—संकायाध्यक्ष बनाये जाने की प्रक्रिया के अनुमोदन पर विचार करना तथा निर्णय लेना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 04:—परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना के Re-engineering पर विचार किया जाना तथा प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में विचार कर निर्णय लिया जाना।

प्रशासनिक संरचना के स्थान पर अकादमिक संरचना के Re-engineering हेतु समिति गठित कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 05:—परीक्षा समिति एवं प्रवेश समिति के गठन संबंधी प्रक्रिया का प्रारूप परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा समितियों के गठन हेतु प्रक्रिया एवं प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु वाह्य शिक्षाविदों की समिति के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 06:—परिषद द्वारा Proctor,Additional Proctor and Assistant Proctor के Nomenclture को परिवर्तित कर क्रमशः Chief Proctor, Additional Chief Proctor and Proctor किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 07:—परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय की आय के स्रोत बढ़ाये जाने पर विचार करना।

मा0 कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने हेतु रोजगार परक विभिन्न पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने तथा सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता के दृष्टिगत कक्षाएं प्रारम्भ करने की सम्भावना तलाशने के लिए कुलपति से अनुरोध किया। कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों में स्थित महाविद्यालयों को लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रयास आरम्भ करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

विनिश्चय संख्या 08:— **लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में अवैतनिक निदेशक की नियुक्ति पर विचार किया जाना।**

मा0 कार्य परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में अवैतनिक निदेशक नियुक्ति करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 09:– प्रो0 डी0पी0 तिवारी, प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग,लखनऊ विश्वविद्यालय एवं वर्तमान कुलपति, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के असाधारण अवकाश सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उक्त प्रकरण पर चर्चा के उपरान्त प्रो0 डी0पी0 तिवारी के विरूद्व जॉच प्रचालित होने के कारण मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रकरण को स्थगित किया गया।

विनिश्चय संख्या 10:– लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित विभाग में स्व0 प्रो0 राम निवास,पूर्व विभागाध्यक्ष की स्मृति में अर्थिक रुप से कमजोर छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 11:– लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो0 पूनम टण्डन के अनुरोध पत्र जो कि Grievance Redressal Policy के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विनिश्चय संख्या 12:– मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में मृतक आश्रित संशोधित नियमावली– 1974 के अन्तर्गत 07 कर्मचारियों के तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में गठित समिति की बैठक दिनांक 18.03.2020 की रिपोर्ट परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

विनिश्चय संख्या 13:– कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो बासुदेव डिग्री कालेज, लखनऊ में बी0एड0 पाठ्यक्रम में निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में स्थायी सहयुक्तता सत्र 2020–21 से प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 14:– श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव के उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 ई–1490 / 5–जी0एस0 / 2020–V दिनांक 17.03.2020 जो लखनऊ विश्वविद्यालय के ओरिएण्टल स्टडीज इन अरेबिक एण्ड परसियन विभाग,गणित एवं खगोलशास्त्र विभाग तथा शिक्षाशास्त्र में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति की कार्यवाही / प्रक्रिया पुनः नये सिरे से एक माह की अवधि में पूर्ण करने सम्बन्धी पत्र परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ / आदेशार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सहमति प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 15:– परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जैव रसायन विज्ञान विभाग के पत्र सं0 शून्य दिनांक 18.03.2020 जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, एवं वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद(CSIR-CIMAP) के मध्य MOU किये जाने सम्बन्धी हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 16:– परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय एवं UPSDMA के मध्य MOU किये जाने सम्बन्धी हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 17:– परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय एवं Central Institute of Medicine के मध्य MOU किये जाने सम्बन्धी हैं, परिषद के सम्मुख विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा उपरोक्तानुसार सहमति प्रदान की गयी।

विनिश्चय संख्या 18:– परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में I.T. Policy एवं E-Waste Management Policy को अंगीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ / निर्णयार्थ प्रस्तुत।

मा0 कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 19:– लखनऊ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक उत्थान / सामुदायिक कल्याण हेतु विभिन्न संस्थानों से **MOU** तथा शोध पीठों के गठन हेतु मा0 कुलपति / अध्यक्ष कार्य परिषद को अधिकृत किये

जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

विभिन्न शैक्षिक संस्थानों/संस्थाओं से एम0ओ0यू0 किये जाने हेतु मा0 कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया तथा विनिश्चय किया गया कि ऐसे प्रकरणों को पुनः कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता नही होगी।

अन्य बिन्दु–अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

विनिश्चय संख्या 01:– Lucknow University Alumni Foundation के गठन पर विचार।

अध्यक्ष/ कुलपति की अनुमति से प्रो0 निशी पाण्डेय ने विस्तृत प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया। प्रकरण पर विस्तृत चर्चा हुई। मा0 कार्य परिषद ने नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही यथा पंजीकरण इत्यादि हेतु कुलपति को अधिकृत किया।

विनिश्चय संख्या 02:– परीक्षा नियन्त्रक द्वारा सेमेस्टर परीक्षा नियमों से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

विनिश्चय संख्या 03:– कार्य परिषद के मा0 सदस्य प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ला द्वारा राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–9164 दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 के क्रम में प्रो0 बृजेन्द्र सिंह के विरूद्व न्यायिक जॉच कराये जाने की मॉग की गयी।

मा0 कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया।

तत्पश्चात कुलपति/अध्यक्ष द्वारा समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

20/03/2020
डॉ0 विनोद कुमार सिंह
कुलसचिव/सचिव

20/03/2020
प्रो0 आलोक कुमार राय
कुलपति/अध्यक्ष